राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.9(1)राज/वाद/88 पार्ट–।। जयपुर, दिनांक: 23/01/24

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ में राज्य सरकार की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त समस्त अतिरिक्त महाधिवक्तागण/ राजकीय अधिवक्ता मय अतिरक्त महाधिवक्तागण/ राजकीय अधिवक्तागण/गवर्नमेंट कौंसिल्स को उनके द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, पूर्वानुसार यथावत पैरवी किये जाने हेतु समसंख्यक आदेश दिनांक 05.12.2023 से निर्देशित किया गया था।

उक्त आदेश दिनांक 05.12.2023 की निरन्तरता में पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ में राज्य सरकार की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त समस्त अतिरिक्त महाधिवक्तागण/ राजकीय अधिवक्ता मय अतिरक्त महाधिवक्तागण/ राजकीय अधिवक्तागण/गवर्नमेंट कौंसिल्स को उनके द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने अथवा अग्रिम आदेशों तक पूर्वानुसार यथावत पैरवी करते रहेगें और राज्य सरकार के प्रकरणों मे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगें।

-sd-
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, विधि।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष/सचिवालय के समस्त विभाग।
5. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता,/ राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता/ गवर्नमेंट काउंसिल/अति. गवर्नमेंट काउंसिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउंसिल राज0उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
6. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
7. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर/ लेखा शाखा, विधि वादकरण विभाग।
8. प्रोगामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर उपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

23/1/2024
शासन सचिव,विधि